न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 53/2017

1. प्रकाश चन्द्र उम्र 47 वर्ष पुत्र रामदेवाराम, जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा हाल निवासी श्याम कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 टोडी, तहसील उदयपुरवाटी , जिला झुंझुनू।
2. श्रीमती अमलेश देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी प्रकाश चन्द्र जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा हाल निवासी श्याम कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 टोडी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. रामदेवाराम पुत्र भूदाराम, जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4. मूलचंद पुत्र भूदाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
5. मुखराम कड़वासरा पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

महावीर प्रसाद पुत्र श्री भूराराम जाति मेघवाल, निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय अदालत
तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी महावीर बनाम
प्रकाश वगैरह अं0धारा 183 बी आर.टी.एक्ट 1955 मु0 नं0 3/2016
आदेश दिनांक 25.10.2017

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल , एडवोकेट ------अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजय ओला, एडवोकेट-------रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 19.12.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी महावीर बनाम प्रकाश वगैरह अं0 धारा 183 बी. आर.टी.एक्ट 1955 मु0 नं0 3/2016 आदेश दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटस के विरूद्ध अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां जमीन हाल खसरा [illegible]04 सरहद मौजा टोडी के संबंध में धारा 183 बी आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश [illegible] अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 25.10.2017 के द्वारा स्वीकार कर जमीन खसरा [illegible]04

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर

से अपीलांट संख्या 1 व 2 को बेदखल करने व कब्जा रेस्पोडेन्ट को सम्भलाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांटस की ओर से यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रावधानों तथा प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। रेस्पोडेंट ने जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 सरहद मौजा टोडी में से 0.27 हैक्टर भूमि का बेचाननामा रिकार्डेड सह खातेदार मेवा देवी पत्नी गणेशा जाति खटीक निवासी गुढा गौड़जी से अपने हक में दिनांक 10.6.2016 को निष्पादित करवा कर उप पंजीयक गुढागौड़जी के यहां पंजीबद्ध करवाया। रेस्पोडेंट के हक में हुये बेचाननामा को विक्रेता मेवा देवी ने बाद में गलत बताया और धोखाधड़ी से बेचाननामा कथित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रेस्पोडेन्ट के हक में जमीन और बहस का बेचाननामा बिना कब्जे के हुआ। बेचाननामा निष्पादित व पंजीबद्ध हुआ उस रोज जमीन खसरा 604 पर रिकार्डेड खातेदारान का भौतिक कब्जा नहीं था। दिनांक 10.6.2016 से पूर्व ही जमीन खसरा नंबर 604 को उसके रिकार्डेड खातेदारान द्वारा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को पंजीकृत व अपंजीकृत विक्रय विलेखों के मार्फत विक्रय किया जा चुका था और कब्जा केतागण का करवाया जा चुका था। इस प्रकार रेस्पोडेंट को जमीन जैर बहस पर बेचाननामा के आधार पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं मिला और न मिल सकता था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 से उक्त तथ्य की ताईद होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को नजर अंदाज कर अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है।

अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 पति पत्नी है। अपीलांट संख्या 3 व 4 तथा 5 अपीलांट संख्या 1 के कमश पिता, चाचा व ससुर है। अपीलांट संख्या 3 से 5 का जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा नहीं है। अपीलांट संख्या 3 से 5 को रेस्पोडेन्ट ने बेवजह पक्षकार बनाया है। अपीलांट संख्या 1 व 2 अतिकमी नहीं है। अपीलांट संख्या 1 व 2 को विरूद्ध धारा 183 बी आरटी एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट संख्या 1 व 2 का कब्जा इजाजतन है। जमीन जैर बहस के सह खातेदार रामसिंह व श्रीराम ने 50 गुणा 100 फीट लम्बाई चौड़ाई का एक भूखण्ड दिनांक 19.04.1997 को इकराम अली पुत्र तैयब अली, जाति चौपदार मुसलमान निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू को विकय इकरार के मार्फत विकय कर कब्जा दिया। उक्त इकरार अली से उक्त भूखण्ड दिनांक 16.02.2006 से अपीलान्ट संख्या 1 काबिज है जिस पर कय के तुरन्त बाद अपीलांट संख्या 1 ने पक्का चारदीवारी व मकानात बनाये और कय के रोज से ही अपीलांट संख्या 1 भौतिक रूप से काबिज है। जमीन हाल खसरा नंबर 604 के सह खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी नरे उक्त भूमि में से 50 गुणा 69 फीट [illegible] का एक भूखण्ड दिनांक 27.9.2005

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

को अपीलांट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा करवाया और विक्रय इकरारनामा अपीलांट संख्या 2 के हक में निष्पादित किया। इस प्रकार दिनांक 27.09.2005 से अपीलांट संख्या 2 खरीदशुदा भूखण्ड पर काबिज है। खरीद के रोज से उक्त भूखण्ड पर अपीलांट संख्या 2 ने पुख्ता चारिदिवारी व मकानात बनाये जिनमें अपीलांट संख्या 2 काबिज है और बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। कानून से अपंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत भी यदि कोई व्यक्ति जमीन जेर बहस पर काबिज होता है तो उसे अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तमाम तथ्य अपीलांटन संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष अपनी जवाबदेही में उठाये थे जिन्हें अदालत मातहत ने निर्णय जेर बहस में बिना डिस्कस किये निर्णय पारितकर दिया जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का यह भी कथन है कि अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु को बिना डिस्कस किये निर्णय जेर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने रिकार्डेड खातेदारार को बिना पक्षकार बनाये निर्णय जेर बहस पारित किया है। प्रकरण में जमीन जेर बहस के रिकार्डेड खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेंट महावीर अदालत मातहत के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया। रेस्पोडेन्ट महावीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण व अस्पष्ट है। रेस्पोडेंट महावीर जमीन जेर बहस का टिनेन्ट कैसे बना दर्ज नहीं है तथा यह भी दर्ज नहीं है कि उसको टिनेन्सी कितनी तारीख को मिली। वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पोडेंट के हक में बेचाननामा दिनांक 10.6.2016 को हुआ। रेस्पोडेन्ट ने यह भी दर्ज नहीं किया कि अपीलान्टस ने जमीन पर कब्जा किस तारीख को किया बल्कि रेस्पोडेन्ट नंबर प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि अपीलान्टस ने उक्त भूमि पर पुख्ता मकान भी बना लिये हैं। रेस्पोडेन्ट का यह कथन नहीं कि उपरोक्त मकान उसके द्वारा खरीदने के बाद पांच रोज में ही बना लिये हो, बल्कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जेर बहस पर आबादी बसी होना साबित है। इससे यह स्पष्ट है कि जमीन जेर बहस पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा रेस्पोडेन्ट के हक में हुये विक्रय विलेख के पहले से है और ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट को धारा 183 बी आरटी एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण नहीं था। रेस्पोडेन्ट के अपूर्ण व अस्पष्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेंट के वैध कब्जे को अपीलान्टस ने कब्जा कर बतौर अतिक्रमी अतिक्रमण किया हो। अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों को बिना समझे निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है।

अपीलांटस का यह भी कथन है कि अदालत मात[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया है कि अपीलांटस का जमीन खसरा नंबर [illegible] पर किस जगह कब्जा है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला [illegible]

कब्जे का रूप क्या है? रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया है कि उसे जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा किस जगह प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 के मुताबिक रेस्पोडेन्ट जमीन खसरा नंबर 604 में 0.2777 हैक्टर का खातेदार रिकार्ड में दर्ज है और मौके पर 0.09 हैक्टर भूमि अपीलांट संख्या 1 व 2 के कब्जे में बताई गई है। इस प्रकार रेस्पोडेंट की खातेदारी की तथाकथित शेष भूमि कहां व किसके कब्जे में है,स्पष्ट नहीं की है। अदालत मातहत ने अपीलांट संख्या 1 व 2 के साथ प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट महावीर व पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष हाजिर नहीं हुये। अपीलांटस को मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने अवैधानिक प्रकिया अपनाकर निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में तथा कथित कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभलाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। जमीन जैर बहस राजस्व रिकार्ड में सह–खातेदारी की दर्ज है । कानून से सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा व कब्जा होता है। अदालत मातहत ने तथाकथित कब्जा अकेले रेस्पोडेंट को संभलाने का का आदेश पारित किया है वह अवैध व शून्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 मौक पर खाली नहीं है और रिकार्डेड खातेदारान का कब्जा नहीं है तथा काबिज व्यक्ति स्वर्ण जाति के हैं और चार दिवारी व पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं। अदालत मातहत द्वारा केवल अपीलांट संख्या 1 व 2 को बेदखल करना इस बात को दर्शाता है कि अदालत मातहत ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस पर काबिज अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली का निर्ण पारित क्यों नहीं किया गया, समझ से परे है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से मौके पर गत 12 वर्ष से अधिक समय से कृषि भूमि नहीं है और नही कृषि भूमि में काम आ रही है। इस कारण अदालत मातहत ने अन्य काबिज व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया और राजनैतिक दबाव में पक्षपातपूर्वक प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांटस ने आगे कथन किया है कि अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नंबर 604 रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मतहत केसमक्ष दफा 183 बी, आर.टी. एक्त 1955 के प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करने के 1 वर्ष से भी अधिक समय पहलेसे अकृषि के काम आ रही है और अबादी बसी हुई है तथा उक्त भूमि [illegible] तरफ आबादी बसी हुई है व कृषि कार्य में काम में नहीं ली जा रही है। ऐसी सूरत में किस्म जमी[illegible] आबादी की मानी जावेगी। माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—ऐसी भूमि जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही है और आबादी बसी हुई है तथा आबादी से घिरी हुई है उस भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं मानी जा सकती। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को नजर अंदाज कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 जो अपूर्ण व अस्पष्ट है के आधार पर प्रकरण दर्ज करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय रेस्पोडेंट का भौतिक कब्जा नहीं था। रेस्पोडेन्ट का जब कब्जा ही नहीं था तो उसे बेदखल कर अपीलांट द्वारा कब्जा करने का अथवा अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसीलिए रेस्पोडेन्ट ने यह अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि अपीलांटस का जमीन जैर बहस के कितने क्षेत्रफल पर तथा कथित अतिक्रमण है। अदालत मातहत ने प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पक्षपात रवैया अपना कर विधि के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रावधानों तथा प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। रेस्पोडेंट ने जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 सरहद मौजा टोडी में से 0.27 हैक्टर भूमि का बेचाननामा रिकार्डेड सह खातेदार मेवा देवी पत्नी गणेशा जाति खटीक निवासी गुढा गौड़जी से अपने हक में दिनांक 10.6.2016 को निष्पादित करवा कर उप पंजीयक गुढागौड़जी के यहां पंजीबद्ध करवाया। रेस्पोडेंट के हक में हुये बेचाननामा को विक्रेता मेवा देवी ने बाद में गलत बताया और धोखाधड़ी से बेचाननामा कथित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रेस्पोडेन्ट के हक में जमीन और बहस का बेचाननामा बिना कब्जे के हुआ। बेचाननामा निष्पादित व पंजीबद्ध हुआ उस रोज जमीन खसरा 604 पर रिकार्डेड खातेदारान का भौतिक कब्जा नहीं था। दिनांक 10.6.2016 से पूर्व ही जमीन खसरा नंबर 604 को उसके रिकार्डेड खातेदारान द्वारा भिन्न—भिन्न व्यक्तियों को पंजीकृत व अपंजीकृत विक्रय [illegible] मार्फत विक्रय किया जा चुका था और कब्जा क्रेतागण का करवाया जा चुका था। रेस्पोडेंट का [illegible] जैर बहस पर बेचाननामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं मिला और न मिल सकता था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 से उक्त तथ्य की ताईद होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को नजर अंदाज कर अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट संख्या 1 व 2 पति पत्नी है। अपीलांट संख्या 3 व 4 तथा 5 अपीलांट संख्या 1 के क्रमश पिता, चाचा व ससुर है। अपीलांट संख्या 3 से 5 का जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा नहीं है। अपीलांट संख्या 3 से 5 को रेस्पोडेन्ट ने बेवजह पक्षकार बनाया है। अपीलांट संख्या 1 व 2 अतिक्रमी नहीं है। इनके विरूद्ध धारा 183 बी आरटी एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट संख्या 1 व 2 का कब्जा इजाजतन है। जमीन जैर बहस के सह खातेदार रामसिंह व श्रीराम ने 50 गुणा 100 फीट लम्बाई चौड़ाई का एक भूखण्ड दिनांक 19.04.1997 को इकराम अली पुत्र तैयब अली, जाति चौपदार मुसलमान निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू को विक्रय इकरार के मार्फत विक्रय कर कब्जा दिया। उक्त इकरार अली से उक्त भूखण्ड दिनांक 16.02.2006 से अपीलान्ट संख्या 1 काबिज है जिस पर क्रय के तुरन्त बाद अपीलांट संख्या 1 ने पुख्ता चारदीवारी व मकानात बनाये और क्रय के रोज से ही अपीलांट संख्या 1 भौतिक रूप से काबिज है। जमीन हाल खसरा नंबर 604 के सह खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी नरे उक्त भूमि में से 50 गुणा 69 फीट नाप का एक भूखण्ड दिनांक 27.9.2005 को अपीलांट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा करवाया और विक्रय इकरारनामा अपीलांट संख्या 2 के हक में निष्पादित किया। दिनांक 27.09.2005 से अपीलांट संख्या 2 खरीदशुदा भूखण्ड पर काबिज है। खरीद के रोज से उक्त भूखण्ड पर अपीलांट संख्या 2 ने पुख्ता चारदिवारी व मकानात बनाये जिनमें अपीलांट संख्या 2 काबिज है जो बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। कानून से अपंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत भी यदि कोई व्यक्ति जमीन जैर बहस पर काबिज होता है तो उसे अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तमाम तथ्य अपीलांटन संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष अपनी जवाबदेही में उठाये थे जिन्हें अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में बिना डिस्कस किये निर्णय पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है।

अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु को बिना डिस्कस किये और रिकार्डेड खातेदारार को बिना पक्षकार बनाये निर्णय जैर बहस पारित किया है। प्रकरण में जमीन जैर बहस के रिकार्डेड खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेंट महावीर अदालत मातहत के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया। रेस्पोडेन्ट महावीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण व अस्पष्ट है। रेस्पोडेंट महावीर जमीन जैर बहस का टिनेन्ट कैसे बना दर्ज नहीं है तथा यह भी दर्ज नहीं है कि उसको टिनेन्सी कितनी तारीख को मिली। वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पोडेंट [illegible]क [illegible]चाननामा दिनांक 10.6.2016 को हुआ। रेस्पोडेन्ट ने यह भी दर्ज नहीं किया कि अपीलान्टस [illegible]मीन पर कब्जा किस तारीख को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

किया बल्कि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि अपीलान्टस ने उक्त भूमि पर पुख्ता मकान भी बना लिये हैं। रेस्पोडेन्ट का यह कथन नहीं कि उपरोक्त मकान उसके द्वारा खरीदने के बाद पांच रोज में ही बना लिये हो, बल्कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस पर आबादी बसी होना साबित है। इससे यह स्पष्ट है कि जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा रेस्पोडेन्ट के हक में हुये विक्रय विलेख के पहले से है और ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट को धारा 183 बी आरटी एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण नहीं था। रेस्पोडेन्ट के अपूर्ण व अस्पष्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेंट के वैध कब्जे को अपीलान्टस ने कब्जा कर बतौर अतिक्रमी अतिक्रमण किया हो। अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों को बिना समझे निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने यह भी कथन किया है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया है कि अपीलांटस का जमीन खसरा नंबर 604 पर किस जगह कब्जा है और कब्जे का रूप क्या है ? रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया है कि उसे जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा किस जगह प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 के मुताबिक रेस्पोडेन्ट जमीन खसरा नंबर 604 में 0.2777 हैक्टर का खातेदार रिकार्ड में दर्ज है और मौके पर 0.09 हैक्टर भूमि अपीलांट संख्या 1 व 2 के कब्जे में बताई गई है। इस प्रकार रेस्पोडेंट की खातेदारी की तथाकथित शेष भूमि कहां व किसके कब्जे में है, स्पष्ट नहीं की है। अदालत मातहत ने अपीलांट संख्या 1 व 2 के साथ प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट महावीर व पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष हाजिर नहीं हुये। अपीलांटस को मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने अवैधानिक प्रकिया अपनाकर निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में तथा कथित कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभलाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। जमीन जैर बहस राजस्व रिकार्ड में सह–खातेदारी की दर्ज है । कानून से सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा व कब्जा होता है। अदालत मातहत ने तथाकथित कब्जा अकेले रेस्पोडेंट को संभलाने का का आदेश पारित किया है वह अवैध व शून्य है। पटवारी हल्का [illegible] दिनांक 22.06.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 मौक पर खाली नहीं है और [illegible] खातेदारान का कब्जा नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

तथा काबिज व्यक्ति स्वर्ण जाति के हैं और चार दिवारी व पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं। अदालत मातहत द्वारा केवल अपीलांट संख्या 1 व 2 को बेदखल करना इस बात को दर्शाता है कि अदालत मातहत ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस पर काबिज अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित क्यों नहीं किया गया, समझ से परे है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से मौके पर गत 12 वर्ष से अधिक समय से कृषि भूमि नहीं है और नही कृषि भूमि में काम आ रही है। इस कारण अदालत मातहत ने अन्य काबिज व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया और राजनैतिक दबाव में पक्षपातपूर्वक प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने आगे कथन किया है कि अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नंबर 604 रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मतहत के समक्ष दफा 183 बी, आर.टी. एक्त 1955 के प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करने के 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले से अकृषि के काम आ रही है और अबादी बसी हुई है तथा उक्त भूमि के चारों तरफ आबादी बसी हुई है व कृषि कार्य में काम में नहीं ली जा रही है। ऐसी सूरत में किस्म जमीन आबादी की मानी जावेगी। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–ऐसी भूमि जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही है और आबादी बसी हुई है तथा आबादी से घिरी हुई है उस भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं मानी जा सकती। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को नजर अंदाज कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 जो अपूर्ण व अस्पष्ट है के आधार पर प्रकरण दर्ज करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय रेस्पोडेंट का भौतिक कब्जा नहीं था। रेस्पोडेन्ट का जब कब्जा ही नहीं था तो उसे बेदखल कर अपीलांट द्वारा कब्जा करने का अथवा अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसीलिए रेस्पोडेन्ट ने यह अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि अपीलांटस का जमीन जैर बहस के कितने क्षेत्रफल पर तथा कथित अतिक्रमण है। अदालत मातहत ने प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पक्षपात रवैया अपना कर विधि के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखत बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया गया कि–अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों की पालना कर निर्णय पारित किया है जिसमें कोई कानूनी गलती नहीं की है। आदेश विधिनुकूल है। रेस्पोडेन्ट ने जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 रकबा 0.27 हैक्टर रिकार्डेड खातेदार से जरिये विक्रय पत्र उप पंजीयक गुढा गौड़जी के यहां पंजीबद्ध करवाया है। अपीलांट प्रकाश चन्द ने जो विवादित भूखण्ड 100गुणा 50 फिट माप का खरीदना बता रहा है। दिनांक 16.2.2006 को खरीदना बता रहा है। उस भूखण्ड को उसने सात लाख पच्चास हजार रूपये में रामोतार पुत्र प्रभातीलाल जाति जांगीड निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी को बेचान कर दिया है। अपीलांट ने 10.2.2011 को इकराम अली से इसी जगह 50 गुणा 100 फीट का दुबारा एक लिखा पढी करवाई और उसने कहा कि मैंने 16.02. 2006 को लिखा पढी करवाई उस पर नोटेरी वकील के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे, परन्तु प्रकाश चन्द अपीलांट ने यह भूखण्ड 23 व 24 अक्टूबर 2009 को ही बेच दिया था, इसलिये उसकी दिनांक 10.2. 2011 की लिखा पढी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अपीलांटस ने एक दावा बाबत निषेधाज्ञा व शून्य घोषित करने विक्रय पत्र मु0नं0 229/16 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 9.10.2018 को खारीज कर दिया। अपीलांट ने नामांतरण ग्राम पंचायत टोडी की अपील की थी जिसको भी उपखण्ड अधिकारी उदयुपरवाटी ने खारिज कर दिया। अपीलांटस ने बिना किसी वैध दस्तावेज व अवैध दस्तावेज के रेस्पोडेंन्ट की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अतः अपील मय खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रावधानों तथा प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर पारित करना बताया है तथा उनका कथन है कि रेस्पोडेंट ने जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 सरहद मौजा टोडी में से 0.27 हैक्टर भूमि का बेचाननामा रिकार्डेड सह खातेदार मेवा देवी पत्नी गणेशा जाति खटीक निवासी गुढा गौड़जी से अपने हक में दिनांक 10.6.2016 को निष्पादित करवा कर उप पंजीयक गुढागौड़जी के यहां पंजीबद्ध करवाया। रेस्पोडेंट के हक में हुये बेचाननामा को विक्रेता मेवा देवी ने बाद में गलत बताया और धोखाधड़ी से बेचाननामा कथित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रेस्पोडेन्ट के हक में जमीन और बहस का बेचाननामा बिना कब्जे के हुआ। बेचाननामा [illegible] पंजीबद्ध हुआ उस रोज जमीन खसरा 604 पर रिकार्डेड खातेदारान का भौतिक कब्जा नहीं था [illegible]नांक 10.6.2016 से पूर्व ही जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 604 को उसके रिकार्डेड खातेदारान द्वारा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को पंजीकृत व अपंजीकृत विक्रय विलेखों के मार्फत विक्रय किया जा चुका था और कब्जा केतागण का करवाया जा चुका था। रेस्पोडेंट का जमीन जैर बहस पर बेचाननामा के आधार पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं मिला और न मिल सकता था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 से उक्त तथ्य की ताईद होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को नजर अंदाज कर अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलांट संख्या 1 व 2 पति पत्नी है। अपीलांट संख्या 3 व 4 तथा 5 अपीलांट संख्या 1 के कमश पिता, चाचा व ससुर है। अपीलांट संख्या 3 से 5 का जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा नहीं है। अपीलांट संख्या 3 से 5 को रेस्पोडेन्ट ने बेवजह पक्षकार बनाया है। अपीलांट संख्या 1 व 2 अतिकमी नहीं है, कब्जा इजाजतन है। जमीन जैर बहस के सह खातेदार रामसिंह व श्रीराम ने 50 गुणा 100 फीट लम्बाई चौड़ाई का एक भूखण्ड दिनांक 19.04.1997 को इकराम अली पुत्र तैयब अली, जाति चौपदार मुसलमान निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू को विक्रय इकरार के मार्फत विक्रय कर कब्जा दिया। उक्त इकरार अली से उक्त भूखण्ड दिनांक 16.02.2006 से अपीलान्ट संख्या 1 काबिज है जिस पर कय के तुरन्त बाद अपीलांट संख्या 1 ने पुख्ता चारदीवारी व मकानात बनाये और कय के रोज से ही अपीलांट संख्या 1 भौतिक रूप से काबिज है। जमीन हाल खसरा नंबर 604 के सह खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी नरे उक्त भूमि में से 50 गुणा 69 फीट नाप का एक भूखण्ड दिनांक 27.9.2005 को अपीलांट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा करवाया और विक्रय इकरारनामा अपीलांट संख्या 2 के हक में निष्पादित किया। दिनांक 27.09.2005 से अपीलांट संख्या 2 खरीदशुदा भूखण्ड पर काबिज है। खरीद के रोज से उक्त भूखण्ड पर अपीलांट संख्या 2 ने पुख्ता चारदिवारी व मकानात बनाये जिनमें अपीलांट संख्या 2 काबिज है जो बतौर अतिकमी काबिज नहीं है। कानून से अपंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत भी यदि कोई व्यक्ति जमीन जैर बहस पर काबिज होता है तो उसे अतिकमी नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तमाम तथ्य अपीलांटन संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष अपनी जवाबदेही में उठाये थे जिन्हें अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु को बिना डिस्कस किये और रिकार्डेड खातेदारार को बिना पक्षकार बनाये निर्णय जैर बहस पारित किया है। प्रकरण में जमीन जैर बहस के रिकार्डेड खातेदार श्रीराम, रामसिंह व मेवा देवी आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेन्ट महावीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण व अस्पष्ट है। रेस्पोडेंट महावीर जमीन जैर बहस का टिनेन्ट कैसे बना दर्ज नहीं है तथा यह भी दर्ज नहीं है कि उसको टिनेन्सी कितनी तारीख को मिली। वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पोडेंट के हक में बेचाननामा दि[illegible]10.[illegible]016 को हुआ। रेस्पोडेन्ट ने यह भी दर्ज नहीं किया कि अपीलान्टस ने जमीन पर कब्जा किस [illegible]ख को किया बल्कि रेस्पोडेन्ट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि अपीलान्टस ने उक्त भूमि पर पुख्ता मकान भी बना लिये हैं। रेस्पोडेन्ट का यह कथन नहीं कि उपरोक्त मकान उसके द्वारा खरीदने के बाद पांच रोज में ही बना लिये हो, बल्कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस पर आबादी बसी होना साबित है। तथा इससे यह स्पष्ट है कि जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा रेस्पोडेन्ट के हक में हुये विक्रय विलेख के पहले से है और ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट को धारा 183 बी आरटी एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण नहीं था। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेंट के वैध कब्जे को अपीलान्टस ने कब्जा कर बतौर अतिक्रमी अतिक्रमण किया हो। अदालत मातहत ने धारा 183 बी आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों को बिना समझे निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया है कि अपीलांटस का जमीन खसरा नंबर 604 पर किस जगह कब्जा है और कब्जे का रूप क्या है ? रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया है कि उसे जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा किस जगह प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 के मुताबिक रेस्पोडेन्ट जमीन खसरा नंबर 604 में 0.2777 हैक्टर का खातेदार रिकार्ड में दर्ज है और मौके पर 0.09 हैक्टर भूमि अपीलांट संख्या 1 व 2 के कब्जे में बताई गई है। इस प्रकार रेस्पोडेंट की खातेदारी की तथाकथित शेष भूमि कहां व किसके कब्जे में है, स्पष्ट नहीं की है। अदालत मातहत ने अपीलांट संख्या 1 व 2 के साथ प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट महावीर व पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष हाजिर नहीं हुये। अपीलांटस को मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने अवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में तथा कथित कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभलाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। जमीन जैर बहस राजस्व रिकार्ड में सह–खातेदारी की दर्ज है । कानून से सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा व कब्जा होता है। अदालत मातहत ने तथाकथित कब्जा अकेले रेस्पोडेंट को संभलाने का का आदेश पारित किया है वह अवैध व शून्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस खसरा नंबर 604 मौक पर खाली नहीं है और रिकार्डेड खातेदारान का कब्जा नहीं है तथा काबिज व्यक्ति स्वर्ण जाति के हैं और चार दिवारी व पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं। अदालत मातहत द्वारा केवल अपीलांट संख्या 1 व 2 को बेदखल [illegible] बात को दर्शाता है कि अदालत मातहत ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग कर निर्णय पारि[illegible]या है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.6.2016 के मुताबिक जमीन जैर बहस पर काबिज अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित क्यों नहीं किया गया, समझ से परे है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से मौके पर गत 12 वर्ष से अधिक समय से कृषि भूमि नहीं है और नही कृषि भूमि में काम आ रही है। इस कारण अदालत मातहत ने अन्य काबिज व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया और राजनैतिक दबाव में पक्षपातपूर्वक प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नंबर 604 रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मतहत के समक्ष दफा 183 बी, आर.टी. एक्त 1955 के प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करने के 12 वर्ष से भी अधिक समय पहले से अकृषि के काम आ रही है और अबादी बसी हुई है तथा उक्त भूमि के चारों तरफ आबादी बसी हुई है व कृषि कार्य में काम में नहीं ली जा रही है। ऐसी सूरत में किस्म जमीन आबादी की मानी जावेगी। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–ऐसी भूमि जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही है और आबादी बसी हुई है तथा आबादी से घिरी हुई है उस भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं मानी जा सकती। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 जो अपूर्ण व अस्पष्ट है के आधार पर प्रकरण दर्ज करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय रेस्पोडेंट का भौतिक कब्जा नहीं था। रेस्पोडेन्ट का जब कब्जा ही नहीं था तो उसे बेदखल कर अपीलांट द्वारा कब्जा करने का अथवा अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसीलिए रेस्पोडेन्ट ने यह अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि अपीलांटस का जमीन जैर बहस के कितने क्षेत्रफल पर तथा कथित अतिक्रमण है। अदालत मातहत ने प्रकिया का दुरूपयोग कर पक्षपात रवैया अपना कर विधि के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया गया है....आदि उज्र उठाये गये है।

मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की हस्तगत प्रकरण की पत्रावली, हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 प्रकरण के सह खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना तथा पक्षकारान की बिना साक्ष्य लिये एवं बिना मौका एवं रिकार्ड की जांच किये तथा मियाद आदि के बिन्दू पर बिना विवेचना किये जल्दबाजी में पारित किया जाना प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो आपति/उज्र उठाये गये हैं, विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन बिन्दुओं पर पूर्ण विवेचना के साथ निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

जवाब पर कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की गई है तथा अपीलांट्स के अतिरिक्त विवादित भूमि पर जो अन्य लोग काबिज होना हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है, उनको बेदखल करने के संबंध में कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2016 उनवानी महावीर बनाम प्रकाश वगैरह अं0 धारा 183 बी आर.टी.एक्ट 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनकी साक्ष्य/सबूत लिये जाकर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा उठाये गये उक्त तमाम बिन्दुओ/तथ्यों का अध्ययन कर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अपने निर्णय में विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested